रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082024-256076 CG-DL-E-05082024-256076

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

No. 437]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 476(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 454 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2024 है।
 - (2) ये नियम तारीख 16 सितंबर, 2024 से प्रवृत होंगे।
- 2. कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 में, —
- (i) नियम 3 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

4867 GI/2024 (1)

"उक - न्यायनिर्णयन मंच.- (1) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2024 के प्रारंभ होने पर, इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी और प्रादेशिक निदेशक की सभी कार्यवाहियां (नोटिस जारी करना, उत्तर या दस्तावेज फाइल करना, साक्ष्य, सुनवाई करना, साक्षियों की उपस्थिति, आदेश पारित करना और शास्ति का भुगतान सहित) इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित ई-न्यायनिर्णयन मंच के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगी।

(2) यदि किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे इन नियमों के अधीन नोटिस या सम्मन जारी किया जाना अपेक्षित है, ई-मेल पता उपलब्ध नहीं है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी अंतिम सूचित किए गए पते या अभिलेखों में उपलब्ध पते पर डाक द्वारा सूचना भेजेगा, और अधिकारी ऐसी सूचना की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ई-न्यायनिर्णयन मंच में स्रक्षित रखेगा:

परंतु यह कि संबंधित व्यक्ति का कोई पता उपलब्ध न होने की स्थिति में यह नोटिस ई-न्यायनिर्णयन मंच पर रख दिया जाएगा।

(ii) उक्त नियमों के उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:



प्ररूप संख्या एडीजे अपील ज्ञापन

प्ररूप भाषा

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 की उपधारा (5) और कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के

अंग्रेज़ी हिंदी

"उपाबंध

यमेव जयते नियम 4 के उपनियम (1)] के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिहिनत सभी फ़ील्ड आज्ञापक हैं	
प्रादेशिक निदेशक के समक्ष	
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में	
और	
(दिन/माह/वर्ष) तारीख को आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में	
द्वारा	
1 * न्यायनिर्णयन आदेश की आदेश आईडी संख्या	
टिप्पण: कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) अनुसरण में, प्ररूप एडीजे में अपील में एक से अधिक आदेशों के विरूद्ध छूट की मांग नहीं कि मांगी गई छूट परिणामी न हो।	
2 * अपीलकर्ता की श्रेणी (कंपनी / विदेशी कंपनी / अन्य [व्यक्तिगत])	
3 कंपनी का विवरण	
(क) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्री संख्या (एफसीआरएन)	
(ख) कंपनी का नाम	
(ग) भारत में रजिस्ट्री कार्यालय या व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पता	
(घ) कंपनी की ईमेल आईडी	
4 अन्य (व्यक्तिगत) अपीलकर्ता का विवरण	
अन्य (व्यक्तिगत) अपीलकर्ता का चयन करें	V

(ख) अन्य को निर्दिष्ट करें

(ग) *धारा का विवरण

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

9 शास्ति का विवरण

क्र.सं.	अपीलकर्ता का नाम	लगायी गयी शास्ति (राशि रु में)	शास्ति का कारण		
10 प्ररूप	का नाम निर्दिष्ट करें, य	दि कोई हो			
11 ऊपर 1	निर्दिष्ट प्ररूप का एसआ	रएन			
अपील का	विवरण				
12 * माम	नले का सारांश				
13 * अपी	ोल के आधार				
14 * मांग	ी गई छूट				
15 * मांग	ी गई अंतरिम छूट, यदि	र कोई हो			
16 * शारि	स्त आदेश की प्रमाणित	प्रति जारी करने की तारीख	व्र (दिन/माह/वर्ष)		
17 * निय	ात तारीख जिस तक अप	गील फाइल की जानी है (वि	देन/माह/वर्ष)		
18 * क्या	। अपील फाइल करने में	विलंब हुआ है?	○ हाँ	🔾 नहीं	
19 दिनों व	में विलंब				
20 अपील	फाइल करने में विलंब	के कारण			
21 *प्रादेशिक निदेशक का अधिकार क्षेत्र					
22 न्याया	लय में फाइल रिट याचि	का का विवरण, यदि कोई	हो		
23 प्राधिकृ	न्त प्रतिनिधि का विवरण •				
(क) प्राधिव	कृत प्रतिनिधि का नाम,	यदि कोई हो,			
(ख) प्राधिव	कृत प्रतिनिधि की ईमेल	आईडी, यदि कोई हो			
अपीलकर्ता	ं घोषणा करता है कि अ	पील की विषय वस्त प्रादेशि	शेक निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आत	गी है।	

संलग्नक

(क) *उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध	अधिकतम 2 MB	फ़ाइल च्नें	हटाना	डाउनलोड
अपील मांगी गई है				
(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकार की एक	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चर्ने		डाउनलोड
प्रति, यदि कोई हो	जावकराण ८ रणवा	अगइस पुण	हटाना	31301(413
(ग) विलंब के लिए क्षमादान का आदेश, यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल च्नें	हटाना	डाउनलोड
(घ) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो				
	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल च्नें	हटाना	डाउनलोड
घोषणा				
	तारीख़		े के माध्य	
इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए	Č			
और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में इसके अंतर्गत बन्	गए गए नियमों की सभी	। अपेक्षाओं का अ	नुपालन वि	ज्या
गया है।				
□ ∗मैं इस प्ररूप को चूककर्ता अधिकारी के या किसी अन्य व्या	यक्ति के रूप में अपनी	व्यक्तिगत क्षमत	ा में फाइल	कर
्र रहा हूं और इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप की				
उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुप	ालन किया गया है।			
		_	<u> </u>	
ा ∗मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी उ		रि पूर्ण है जिसम	र्ने इस प्ररू	प के
संलग्नक भी सम्मिलित हैं और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई	ं नहां गया हा			
□ *यह भी घोषित किया जाता है कि कोई अन्य अपील, म्	र्कदमा, सिविल संशोधन	। या कोई अन्य	विधि कार्य	वाही
किसी भी प्राधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।	•			
00		डीएससी	बॉक्स	
* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित		5, 7, 7, 7, 7		
* श्रेणी				
(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ / प्राधिवृ	<u> </u>	र्ना)		V
*पहचान संख्या (निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डी:	आईएन या			
प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वितीय अधिव	ारी का पैन; या कंपनी	सचिव की		
सदस्यता संख्या या अपीलकर्ता का डीआईएन/पैन/पासपोर्ट नंब	ıर; या प्राधिकृत प्रतिनि ^{ष्}	धे का पैन)		
			सेव	जमा -

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के साथ पठित धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का उपबंध करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
अपील आईडी	
अपील अनुमोदित की जाती है	डीएससी बॉक्स
अपील अस्वीकार की जाती है	डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	n

[फा. सं.1/25/2013-सीएल-V(पार्ट)] मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 254(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.131(अ) तारीख 19 फरवरी, 2019 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2024

- G.S.R. 476(E). In exercise of the powers conferred by section 454 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, namely: -
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Adjudication of Penalties) Amendment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force from the 16th day of September, 2024.
- 2. In the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014,—
- (i) after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "3A. Adjudication Platform.- (1) On the commencement of the Companies (Adjudication of Penalties) Amendment Rules, 2024, all proceedings (including issue of notices, filing replies or documents, evidences, holding of hearing, attendance of witnesses, passing of orders and payment of penalty) of adjudicating officer and Regional Director under these rules shall take place in electronic mode only through the e-adjudication platform developed by the Central Government for this purpose.
 - (2) In case the e-mail address of any person to whom a notice or summons is required to be issued under these rules is not available, the adjudicating officer shall send the notice by post at the last intimated address or address available in the records and the officer shall preserve a copy of such notice in the electronic record in the e-adjudication platform referred to in sub-rule (1):

Provided that in case no address of the person concerned is available, the notice shall be placed on the e-adjudication platform."

(ii) For the Annexure to the said rules, the following Annexure shall be substituted, namely:-

"Annexure

Form No. ADJ

Memorandum of Appeal

[Pursuant to Section 454(5) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014]

English Hindi

Form language

सत्यमेव जयते All fia

Refer instruction kit for filing the form All fields marked in * are mandatory

, results managed in an emanaged y	
Before the Regional Director	
In the matter of the Companies Act, 2013 And	
In the matter of appeal against the order made on (DD/MM/YYYY)	
Ву	
1 *Order ID number of the adjudication order	
Note: Pursuant to the second proviso in sub rule (1) of Rule 4 of the Companies (Adjud 2014,	lication of Penalties) Rules,
the appeal in Form ADJ shall not seek relief against more than one order unless the rel consequential.	iefs prayed for are
2 *Category of Appellant (Company/Foreign Company/Others [Individual])	T
3 Company Details	
(a) Corporate Identity Number (CIN) or Foreign Company Registration Number (FCRI	N)
(b) Name of the company	
(c) Address of the registered office or principal place of business in India	
(d) Email id of the company	
4 Details of other (individual) appellant	
Select other (individual) appellant	▼
(a) *Identification number (DIN / PAN / Passport Number / Membership Number)	
(b) *Name	
(c) *Email ID	
5 (a) *Whether the appeal is to be filed on behalf of other appellants also?	O yes O No
(b) Number of appellants for which the form is being filed	

6 Particulars of other	r appellants on behalf	or whom the a	ppear is bei	ng mea			
Select other appella	ant						▼
(a) *Identification n (DIN / PAN / Pa	number ssport Number / Mem	bership Numbe	r)				
(b) *Name							
(c) *Email ID							
(d) *Copy of author	isation letter to file th	e appeal	Max 2 MB	C	hoose File	Remove	Download
7 Details of the respo	ondent						
(a) *Adjudicating of	fficer						▼
(b) *Address							
8 Details of Adjudicat	tion order						
(a) *Section under v	which penalty was imp	osed					▼
(b) Specify others							
(c) *Description of t	the section						
9 Penalty Details							
S. No.	Name of the Appellant	Penalty im (Amount i		Reaso	n for Penal	ty	
10 Specificthe name	of the form if any						
10 Specify the name of							
11 SRN of the form sp	ecified above						
Appeal details							
12 *Synopsis of case							
13 *Grounds of appea	al						
14 *Relief sought							
15 *Interim relief sou	ght, if any						
16 *Date of issuing ce	ertified copy of penalty	order (DD/MM	I/YYYY)				

PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary Or DIN/PAN/Passport number of appellant; or PAN of Authorised Representative)

Note: Attention is drawn to provisions of Section 447 read with 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.			
For office use only:			
eForm Service Request Number (SRN)			
eForm filing date (DD/MM/YYYY)			
Appeal ID			
The appeal is hereby approved	DSC BOX		
The appeal is hereby rejected	DSC BOX		
Date of signing (DD/MM/YYYY)			

[F. No. 1/25/2013-CL-V(Part)] MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 254(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 131(E) dated 19th February, 2019.